

3-5-18 पत्रावली न्याय आफिस द्वारे 2018 अटल सेवा
केंद्र - येनपुरा में पेश हुई। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। प्रार्थी विगत 1 वर्ष
से प्रार्थना पत्र में नोटिस लवाना पेश
नहीं किया है। अतः अस्थायी प्रार्थना पत्र
आदेश 9 नियम 5 जा.दी. में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फासल शुमार हो कर
दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तन्माल
कार्यवाही दफ्तर दारिजल हो। आदेश
कैम्प कोर्ट अटल सेवा केंद्र - येनपुरा
में सुनाया गया।

अखण्ड अधिकारी
सांगरलेक